UPRN010064702023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4, कानपुर देहात।

पीठासीन अधिकारी– श्री अजय कुमार सिंह–II, **(उच्चतर न्यायिक सेवा)**–UP01536

सेशन केस संख्या–1609/2023

उत्तर प्रदेश सरकार

––अभियोजन पक्ष

प्रति

पुष्पा पत्नी अनिल कुमार, निवासिनी ग्राम किशुनपुर, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात।

––अभियुक्ता।

मुकदमा अपराध संख्याः–1343/2020

धाराः–135(1)(A) भारतीय विद्युत अधिनियम।

थानाः–एंटी पावर थेफ्ट, जनपद कानपुर देहात।

निर्णय

1– अभियुक्ता पुष्पा के विरूद्ध पुलिस थाना एंटी पावर थेफ्ट, जनपद कानपुर देहात द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–1343/2020 अन्तर्गत धारा 135(1)(A) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003, थाना एंटी पावर थेफ्ट, जनपद कानपुर देहात के अपराध में परीक्षण हेतु आरोप पत्र प्रेषित किया गया जिसके आधार पर विचारण किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथन है कि मुकदमा वादी मुकदमा श्री इन्द्रजीत पण्डित, अवर अभियन्ता द्वारा प्रभारी निरीक्षक, थाना एंटी पावर थेफ्ट, जनपद कानपुर देहात को इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 08–10–2020 को समय लगभग 1:20 बजे वादी मुकदमा मय हमराही पुलिसकर्मियों के साथ उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार विद्युत चोरी रोकने, लाइन लास एवं राजस्व वसूली करने के उद्देश्य से जब ग्राम किशुनपुर पहुंचे तो पुष्पा पत्नी अनिल कुमार के परिसर में लगे मीटर संख्या–638987 स्वीकृत संयोजन संख्या–7219003691 को चेक किया, जिसमे पाया कि उपभोक्ता द्वारा अपने मीटर की इनकमिंग

केबिल में कट लगाकर एक अतिरिक्त केबिल जोड़कर मीटर बाईपास कर विद्युत चोरी करते हुए पाये गये। उक्त को अपराध से अवगत कराकर, सुविधानुसार विद्युत चोरी में प्रयुक्त दो कोर काली केबिल को नजदीकी पोल से विच्छेदित किया गय। याचना की गयी कि प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाये।

3– उपरोक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना एंटी पावर थेफ्ट, जनपद कानपुर देहात में उपरोक्त अभियुक्ता के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचनाधिकारी के द्वारा मामले की विवेचना की गयी। मौके का नक्शा नजरी तैयार किया गया। साक्षीगण एवं अभियुक्ता का बयान दर्ज किया गया। तदोपरान्त अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 135(1)(A) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 का न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4– अभियुक्ता न्यायालय में उपस्थित आया। उसके विरूद्ध दिनांक 23–05–2026 को आरोप अन्तर्गत धारा 135(1)(A) भारतीय विद्युत अधिनियम का विरचित किया गया। अभियुक्ता को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिसे अभियुक्ता ने इंकार किया और विचारण की मांग की।

5– अभियोजन/विद्युत विभाग की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–1 के रूप में राजकमल पप्पू को परीक्षित किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार करने पर साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1, नकल जी०डी० प्रदर्श क–2, नक्शा नजरी प्रदर्श क–3, आरोप–पत्र प्रदर्श क–4 एवं अधिशाषी अभियान्ता द्वारा प्रेषित पत्र प्रदर्श क–5 को प्रस्तुत कर साबित कराया गया है।

6– अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी साक्ष्य सुनिश्चित करने के उपरान्त पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० नियत की गयी। अभियुक्ता का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया जिसमें अभियुक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि वह निर्दोष है तथा रंजिशन मुकदमा चलाये जाने का कथन किया। अभियुक्ता ने सफाई साक्ष्य दिये जाने से इंकार किया गया।

7– राज्य की ओर से विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8– अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या–1 श्री राजकमल पप्पू, अवर अभियंता को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है, ने अपने साक्ष्य में बयान दिया है कि दिनांक 08–10–2020 को अवर अभियन्ता इन्द्रजीत पण्डित द्वारा चेकिंग के दौरान

पाया कि अभियुक्ता पुष्पा नजदीकी एल०टी० लाइन से कटिया डालकर विद्युत चोरी एवं उपभोग कर रहे थे, जिसकी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना एंटी पावर थेफ्ट में दर्ज करायी गयी थी, जो संलग्न पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया है। जी०डी० कायमी संलग्न पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा नक्शा नजरी तैयार कर दाखिल किया गया है, जो संलग्न पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा आरोप सत्य पाते हुए, आरोप–पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया, जो संलग्नन पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड रनियां द्वारा जारी पत्र धारा 152 पत्रांक संख्या–6156 दिनांकित 13–02–2025 संलग्न पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

9– अभियुक्ता द्वारा साक्षी से कोई जिरह नहीं की गयी। इसके उपरान्त अभियोजन साक्ष्य समाप्त हुआ।

10– अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 श्री राजकमल पप्पू ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अभियुक्ता द्वारा उसके द्वारा बकाया विद्युत बिल व शमन शुल्क व विद्युत बकाये का भुगतान किया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्ता द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए विभाग का शमन शुल्क व विद्युत बकाया बिल जमा कर दिया गया जिसके संबंध में विद्युत विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र पत्रावली में प्रेषित किया गया है। उक्त प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा पंजीकरण धनराशि 2588.00 रूपये, शेष राजस्व धनराशि 7764.00 रूपये, शमन शुल्क 2000.00 रूपये, विद्युत बकाया जमा 485.00 रूपये, जमा कर दिया गया जिसके संबंध में विद्युत विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र पत्रावली में दाखिल किया गया है। उक्त प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

11– धारा 152 विद्युत अधिनियम 2003 में यह प्राविधान किया गया है कि समुचित सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी उपभोक्ता अथवा ऐसे व्यक्ति से जिसने अधिनियम के अधीन दण्डनीय विद्युत की चोरी का अपराध कारित किया है अथवा जिस पर युक्ति युक्त ढंग से उसके कारित किये जाने का सन्देह है तालिका में दिये हुये अपराध के समाधान के रूप में धनराशि प्राप्त कर सकेगा। धारा 152(2) भारतीय विद्युत अधिनियम में यह प्राविधान किया गया है कि उपधारा–1 के अनुसार धन की राशि का संदाय होने पर उस अपराध के संबंध में अभिरक्षा में कोई भी व्यक्ति मुक्त कर दिया जायेगा और किसी भी आपराधिक न्यायालय में उस उपभोक्ता के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही संस्थित अथवा जारी नहीं रखी जायेगी। धारा 152(3) विद्युत अधिनियम में यह भी प्राविधान किया गया है कि

समाधान करने के लिये धन की राशि की प्राप्ति धारा 300 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दोषमुक्त मानी जायेगी।

12– प्रस्तुत मामले में अभियुक्ता ने विद्युत विभाग के द्वारा विद्युत बकाया, शमन शुल्क, जमा कर दिया है जिसके संबंध में विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, रनियां, कानपुर देहात द्वारा निर्गत प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा 135(1)(A) भारतीय विद्युत अधिनियम समाधान होने के आधार पर दोषमुक्त किये जाने का अधिकारी है।

आदेश

13– अभियुक्ता पुष्पा को मुकदमा अपराध संख्या–1343/2020 अन्तर्गत धारा 135(1)(A) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003, थाना एंटी पावर थेफ्ट, जनपद कानपुर देहात के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्ता जमानत पर है। उसके जमानतनामें एवं प्रतिभू निरस्त करते हुए उन्हें उत्तर दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

14– धारा 437ए दं०प्र०सं० के प्रावधान के अनुपालन में अभियुक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय के विरुद्ध अपील किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा एवं अभियुक्ता मुबलिग 20,000/=रुपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा इतनी ही समराशि के दो प्रतिभू दाखिल करें।

दिनांक– **23.07.2026** **(अजय कुमार सिंह–II)**

आई०डी०–UP01536

विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–4,

कानपुर देहात।

15– आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक– **23.07.2026** **(अजय कुमार सिंह–II)**

आई०डी०–UP01536

विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–4,

कानपुर देहात।

Digitally signed by AJAY KUMAR SINGH
Date: 2026.07.28 11:01:03 IST
Reason: ADJ Court N0 4
Location: District and Sessions Court